प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

17 दिसंबर, 2024

संघ सरकार (रक्षा सेवाएँ – थल सेना) पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 2024 की प्रतिवेदन संख्या 11 संसद में प्रस्तुत

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सी एंड ए जी की 2024 की रिपोर्ट सं. 11, संघ सरकार (रक्षा सेवाएँ- थल सेना) को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर दिनाँक **17.12.2024** को रखा गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा विभाग, थल सेना, सैन्य इंजीनियर सेवा, सीमा सड़क संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से संबंधित वर्ष 2020-21 के लिए लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

1. अश्वापूर्ति और पशु चिकित्सा सेवाओं की कार्यपद्धति और पशु परिवहन इकाइयों का उपयोग

महानिदेशक अश्वापूर्ति पशु चिकित्सा सेवाएँडी) जी आर वी एस की अध्यक्षता के अन्तर्गत अश्वापूर्ति और पशु (चिकित्सा कोर (आर वी सी), भारतीय थल सेना में संपूर्ण अश्वों और श्वानों की आबादी के प्रजनन प्रशिक्षण ,पालन , और स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा में 2018-2020 से 19-) 13वीं सेना योजना तक की अवधि को शामिल किया गया जिसमें 212017-22 (की अवधि शामिल थी।लेखापरीक्षा में देखा गया कि आर वी एस के लिए 13वीं योजना में क्षमता विकास और आधुनिकीकरण पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, आर वी एस के तकनीकी प्रशिक्षण निर्देश के अनुसार छह अल्पकालिक प्रशिक्षण लक्ष्यों में से तीन; सेना के घोड़ों की खेल क्षमता को उन्नत करने के लिए यूरोपीय देशों से प्रशिक्षित उत्कृष्ट स्टैलियन के जमे हुए वीर्य का आयात निगरानी उपकरणों/ड्रोन ,को मार गिराने के लिए रेप्टरों का प्रशिक्षण और सैन्य कार्य करने वाले श्वानों के रूप में उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए श्वानों की स्थानीय नस्लों का प्रशिक्षण, या तो हासिल नहीं किए गये थे या लक्ष्य से कम हासिल किये गए थे। यह भी

देखा गया कि पांच चयनित पशु परिवहन इकाइयों में से चार में, पशु परिवहन इकाइयों ए) टी एस और उनकी (किलोमीटर के बीच थी 534 किलोमीटर से 174 निर्धारित तैनाती के बीच की दूरी, जिसके परिणामस्वरूप खच्चरों के परिवहन पर अतिरिक्त व्यय और 89.10 प्रतिशत से 46.प्रतिशत के बीच ए 74 टी का कम उपयोग हुआ था। पुराने पशु चिकित्सा मोबिलाइजेशन उपकरणों के मानकों का संशोधनडी , जी आर वी एस महानिदेशक सशस्त्र बल/ वर्षों से अधिक समय तक रुका हुआ था। नतीजतन 16 चिकित्सा सेवाओं में, जो मानक उपयोग में थे, वे पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विकास से रहित थे।

2. किराए पर लिए गए कार्यालय आवास के खराब प्रबंधन के कारण व्यर्थ व्यय

रक्षा मंत्रालय के तहत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सी) ए ओ के कार्यालय ने मौजूदा पुरानी बैरकों में सुरक्षा (चिंताओं के आधार पर, नवंबर में 2018 दिसंबर/इन बैरकों में स्थित रक्षा कार्यालयों के लिए45 ,278. वर्ग फुट 31कार्यस्थल हेतु किराए पर लिया। मार्च तक 2023, किराए पर लिए गए कुल स्थान का केवल प्रतिशत उपयोग किया गया था 42 औरकिराए पर लिए गए शेष प्रतिशत स्थ 58ल का किराए पर लिए जाने के समय के बाद से उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा, किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान का उपयोग वास्तव में उन इच्छित उपयोगकर्ताओं द्वारा नहीं किया गयाजिनके लिए कार्यालय स्थान किराए पर लिया गया था। ,

सी ए ओ द्वारा किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान के खराब प्रबंधन के साथ साथ नामित रक्षा उपयोगकर्ताओं की- ,चार साल से अधिक की अवधि के बाद भी उक्त परिसर में उनके स्थानांतरित होने की असमर्थता के परिणामस्वरूप साथ उसमें किए गए नवीकरण कार्य-अप्रयुक्त स्थान के किराए के साथोंं पर ₹44.2023 मार्च) करोड़ 26) का व्यर्थ व्यय हुआ।

3. पूर्वी कमान में पोर्टर कंपनियों की स्थापना

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019-2020 तथा 20- के लिए 21₹180.2021 करोड़ की लागत पर तथा वर्ष 85- के लिए 22 ₹93. के अन्तर्गत (एच क्यू ई सी) करोड़ की लागत पर मुख्यालय पूर्वी कमान 78उनके दायित्व के क्षेत्र ए) ओ आर (में नौ पोर्टर कंपनियों की स्थापना को मंजूरी दी(जून 2019)।

मुख्यालय 'सी' कोर के तहत दो डिवीजन मुख्यालय मुख्यालय)'सी 1' डिवीजन और मुख्यालय 'सी 2' डिवीजन(द्वारा की गई पोर्टरों की आवश्यकता का आकलन उनके संबंधित पंचवर्षीय रोलआर) ऑन प्लान- ओ पी के अनुरूप नहीं (था। इन डिवीजन के अन्तर्गत आर ओ पी के अनुसार ऑपरेशनल कार्यों के निष्पादन के लिए इंजीनियर टास्क फोर्स ई) टी एफ2019 के पास वर्ष (-2020 और 20-के लिए मानव 21 श्रमशक्ति की मामूली कमी थी और वित्तीय वर्ष 2021-के दौरान मानव श्रमशक्ति अधिशेष थी। हालांकि 22, मंत्रालय ने आवश्यकताओं के अनुमान के आधार पर, 2019-2021 से 20- की अवधि के लिए मुख्यालय 22'सी' कोर के लिए आठ पोर्टर कंपनियों जिसमें प्रत्येक पोर्टर , 600 कंपनी में पोर्टर शामिल थेकी मंजूरी दी। ,

पोर्टर कंपनियों की स्थापना के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए तीन कोर मुख्यालय द्वारा अनुमानित कार्य 2019- से 20 2021- 22के दौरान वास्तव में निष्पादित कार्यों के मुख्यालय) प्रतिशत तक अधिक थे। दो कोर मुख्यालय 499 से 41 'ए' कोर और मुख्यालय 'सी' कोर2019 ने वर्ष (-2021 से 20- के दौरान निष्पादित कार्यों की मात्रा के आधार पर 22 8 आवश्यकता से अधिक,पोर्टरों का अनुमान लगाया 635, जिसमें ₹112.करोड़ का व्यय शामिल था। 93

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-2021 और 21- के लिए पोर्टर कंपनियों के गठन की मंजूरी समय पर जारी की गई थी। 22 हालांकिमुख्यालय 'बी' कोर और मुख्यालय 'सी' कोर ने पोर्टर कंपनियों की तीन महीने तक की देरी से स्थापना की। पोर्टर कंपनियों की स्थापना में देरी के कारण आठ चयनित पोर्टर कंपनियों में से सात में पोर्टरों की संख्या में सर्दी की शुरुआत की वजह से गिरावट हुई।

2019-2021 और 20-12 के बीच स्थापित पोर्टर कंपनियों में काम पर रखे गए कुल 22,पोर्टरों में से 000, कोर मुख्यालय ने 11,पोर्टरों को ई 297 टी एफ/इंजीनियर रेजिमेंट को आवंटित किया। आगे डिवीजन मुख्यालय ने ई टी एफ/इंजीनियर रेजिमेंटों को केवल 7,पोर्टर आवंटित किए। इस प्रकार 938, इंजीनियर रेजिमेंटों के अलावा अन्य इकाइयों में 3,7 पोर्टरों को तैनात किया गया था। तैनात किए गए 359, पोर्टरों में से इंजीनियर रेजिमेंटों द्वारा 938 उपयोगिता प्रमाण4 पत्र केवल-,पोर्टरों को दिए गए थे। 634

मासिक आधार की बजाय दैनिक आधार पर वेतन के भुगतान और मेट्स के रूप में तैनात पोर्टरों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों पर भुगतान के कारण ₹2.करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। इसके अलावा 53, उन पोर्टरों को उच्च ऊंचाई भत्ते एच) ए ए के रूप में (₹1.करोड़ का भुगतान भी किया गया था 21, जबकि उन्हें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात नहीं किया गया था। पोर्टरों को वेतन के भुगतान में एक से पांच माह तक का विलंब हुआ था।

2019-2021 से 20- के दौरान पोर्टर 22कंपनियों की मंजूरी के बावजूदपांच साल के आर , ओ पी)2018-23 में (पी) अनुमानित स्थायी सुरक्षा संरचनाओं डी के निर्माण में मुख्यालय ('ए' कोर और मुख्यालय 'बी' कोर के संबंध में क्रमशः प्रतिशत की कमी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो कोर मुख्यालयों के स 80 और 97ंबंध में, वर्ष 2020-2021 और 21- 22(मुख्यालय 'ए' कोर2021 और (- 22(मुख्यालय 'सी' कोर के दौरान उपयोगकर्ताओं को संपत्ति (बी) सौंपने के लिए कोई बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ओ ओ2019 आयोजित नहीं किया गया था। वर्ष (-2020 और 20- 21 के लिए मुख्यालय'सी' कोर मुख्यालय)'सी 2' डिवीजनमें (, संख्यात्मक परिसंपत्ति रजिस्टर एन) ए आर का (अद्यतन नहीं किया गया था और निर्मित पी डी, आश्रयों और भंडारण आवास की संख्या और एन ए आर में परिलक्षित संख्या के बीच मेल नहीं था।

4. भारतीय सेना में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी

भारतीय सेना में सी ओ आई कार्यवाहियों के पूर्ण होने में लगातार देरी हो रही थी। तीनों सेना कमानों (मध्य कमान, पूर्वी कमान और पश्चिमी कमान) में वित्तीय हानि वाले मामलों में से 95, सी ओ आई के संयोजन और पूरा होने के लिए निर्धारित समयसीमा क्रमश-:मामलों में ही पूरी की गई थ 25 और 46 ी। मामलों में 11, सी ओ आई को पूरा करने में लगने वाला समय दो वर्ष से अधिक और यहां तक कि सी 10 वर्ष तक था। आग की घटनाओं से संबंधित 11

ओ आई में जहां कमान मुख्यालय को सी ओ आई के आयोजन के लिए अधिकृत किया गया था, कमान मुख्यालय से निचले स्तर के प्राधिकारी द्वारा सी ओ आई के आयोजन का आदेश जारी किया गया था। विचारार्थ विषय टी) ओ आर(, जिनमें सी ओ आई के जांच के दायरे का निर्धारण किया गया था, में हानि के/मामलों में जिम्मेदारी और दोष 29 निर्धारण का विशिष्ट उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में 28 मामलों में से 29प्रासंगिक सेना नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का कोई उल्लेख नहीं था और माल की/मामलों में क्षति और जान 13 मामलों में से 29 क्षति के आकलन करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

मामलों में 95, सी ओ आई ने ₹50.76 करोड़ के वित्तीय नुकसान का आकलन किया। मामलों के 43 संबंध में ₹7.12 करोड़ के वित्तीय नुकसान को नियमित किया गया 2022 अप्रैल))। हालांकि,₹ 43.64 करोड़ की वित्तीय हानि वाले मामलों में नुकसान को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा नियमित करने से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। 52

मामलों में 57 मामलों में से 95, लेखा प्राधिकारियों अर्थात् रक्षा लेखा नियंत्रकों सी) डी ए को हानि के ब्यौरे से (संबंधित दी जाने वाली अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ थी कि क्या सी डी ए को शुरू में या जांच पूरी होने के बाद नुकसान की सूचना दी गई थी। शेष 38 में 20 मामलों में से, जहाँ कमानोंयूनिटों ने सी/ ओ आई के पूरा होने के बाद संबंधित सी डी ए को वित्तीय हानियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया था, सी डी ए को हानियों की सूचना देने में लगने वाला समय तीन महीने से दो वर्ष से अधिक तक का था।

5. गोदाम के निर्माण में असामान्य देरी के कारण आवास को किराए पर लिया जाना

कैंटीन भंडार विभाग सी) एस डीएम) तथा सैन्य अभियंता सेवाएँ (ई एसके प्राधिकारियों की ओर से सी (एस डी एरिया डिपो चेन्नई के लिए गोदाम के निर्माणमें हुआ 2011 जिसका प्रारंभ फरवरी ,, पर कार्यवाही करने के मामले में निरुत्साहपूर्ण दृष्टिकोण और रक्षा मंत्रालय की ओर से स्वीकृति प्रदान करने में देरी के परिणामस्वरूप (मंत्रालय) प्रशासनिक अनुमोदन केपूर्व की योजना में सप्ता 393ह की असामान्य देरी हुई। सीमा-सप्ताह की निर्धारित समय 48 2019 सप्ताह का समय लिया गया। जुलाई 441 की तुलना में प्रस्ताव पर कार्यवाही तथा स्वीकृति के लिए समग्र रूप से में कार्य की स्वीकृति दिए जाने के बावजूद मंत्रालय से निधियों को जारी करने में देरी के कारण आगे और देरी हुई। अंततया दिसम्बर में अनुबंध किया गया 2022तथा कार्य नवम्बर तक पूरा किया जाना है। सी 2024 एस डी ने अक्टूबर तक सी 2022 से दिसम्बर 2018 एस डी एरिया डिपो चेन्नई के लिए गोदाम के किराए पर लिए जाने के कारण ₹17.43 करोड़ की राशि किराए के रूप में भुगतान की।

6. कैन्टीन भंडार विभाग द्वारा बैंडविड्थ सेवाओं को समाप्त करने में देरी के कारण अवांछित व्यय

एकीकृत कैंटीन भंडार विभाग आई) सी एस डीप्रणाली के कामकाज के लिए आवश्यक वी (एस ए टी की कनेक्टिविटी अक्टूबर जिसे सी ,से असंतोषजनक थी 2009 एस डी भली भाँति-जानती थी। हालाँकिअक् ,टूबर से सी 2013 एस डी द्वारा वी एस ए टी सेवाओं के भुगतान रोक दिए गए थेपरंतु वी , एस ए टी की सेवाओं की समाप्ति का पत्र जुलाई चूँकि अनुबंध अक् ,में ही जारी किया गया था। इसी बीच 2014टूबर तो कंपनी ,तक प्रभावी रहा 2014 से जून 2013

ने वी एस ए टी सेवाओं के लिए चालान उठाए जिसमें यह सूचित किया गया था कि विलंबित भुगतान पर प्रतिशत 18 जिसका सी ,ब्याज प्रभारित किया जाएगा एस डी द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था।

फर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया 2017 जुलाई))जिसने मामले के ल ,िए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की 2020 फरवरी) । मध्यस्थता अधिनिर्णय दावेदार के पक्ष में दिया गया(2018 अगस्त)) और सी एस डी को मध्यस्थता अधिनिर्णय के लिए ₹1.85 करोड़ का अवांछित खर्च उठाना पड़ा।

7. अनुचित दरों को स्वीकार करने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय आई) एच क्यू ने (सेना) ('एस' मद की 8, मात्राओं की आपूर्ति के लिए एक 831 2018 जनवरी) खुली निविदा जाँच जारी की)। केवल मेसर्स अशोक लेलैण्डओ) मूल उपकरण निर्माता , ई एम ने (ही तकनीकी बोलियों में अर्हता प्राप्त की। ओईएम ने₹4,500/- (कर को छोड़कर के आधार मूल्य को उद्धृत किया (2018 मई))। सेना मुख्यालय में महानिदेशक आयुध सेवाओं डी) जी ओ एस ने चार सप्ताह की निर्धारित अवधि (एस) तीन महीनों के अंतराल के बाद आपूर्ति आदेश ,के बदले ओ2018 अगस्त) जारी किया ()।

इसी बीचसी) केन्द्रीय आयुध डिपो , ओ डी शार्टलिस्टेड आपूर्तिकर्ताओं 14 देहू रोड ने ((ओ ई एम को छोड़कर) को जारी सीमित निविदा 2018 जून)) के द्वारा1 उक्त मद की ,, मात्राओं को खरीदने के लिए 617₹8,400/- (कर को छोड़कर2018 जुलाई) के आधार मूल्य पर अलग से एक आपूर्ति आदेश जारी किया ()। यह मूल्य सेना मुख्यालय द्वारा मई की निर्धारित कीमत से 2018₹3,900/- प्रति मात्रा से अधिक था। लागत की तर्कसंगतता का (कर छोड़कर) आकलन करते समय सी ओ डी ने मूल्यों की तुलना ओ ई एम से उनसे पिछली खरीद 2017 सितम्बर)) जो कि ₹4,551/- (कर छोड़करउसी व ,से करने की बजाय ,पर की गई थी (िक्रेता से पहले की खरीद 2016 फरवरी)) जो कि ₹8,400/- (कर छोड़करसे की थी। ,पर की गई थी (

इस कारण सी ओ डीमें इस मद के लिए तय की गई कीमत 2018 देहू रोड को सेना मुख्यालय द्वारा मई , से अधिक कीमत पर जुलाई में मद 2018 को खरीदना पड़ा एवं इस प्रकार कर सहित ₹80. 72लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

8. सैन्य अभियंता सेवाओं द्वारा जल आपूर्ति का प्रबंधन

सैन्य अभियंता सेवाएं अपने उत्तरदायित्व के निर्धारित क्षेत्र यानि सैन्य स्टेशन, छावनी बोर्ड और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रयोक्ताओं को जलापूर्ति के लिए सभी रक्षा सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

जलापूर्ति के प्रबंधन और संवर्धन के संबंध में छह कमानों के तहत चयनित जी) दुर्ग अभियंताओं 20 ई ,में (2018-19 से 2020-जी 20 की अवधि के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला है कि चयनित 21 ई में से जी ई 15 में, उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति किया गया जल अधिकृत मात्रा से कम था। उक्त जी ई में जल की आपूर्ति अधिकृत 15 10 मात्रा से.62 प्रतिशत से 13.प्रतिशत तक कम थी। 97

अपने अपने सेवा क्षेत्रों में जल की मांग और आपूर्ति के बीच-के अंतर को कम करने के लिए 13जी ई ने बाहरी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (जलापूर्ति एंजेसियाँ)/करार हस्ताक्षरित किए थे। अनुबंधित एजेंसियों द्वारा वास्तविक जलापूर्ति के विश्लेषण से पता चला है कि जी 13 ई में से में 12, इन एजेंसियों से जलापूर्ति की सहमत मात्रा से कम जल प्राप्त हो रहा था।

इंजीनियरचीफ की शाखा ने एम-इन- ई एस में जल आपूर्ति प्रणाली के प्रक्रिया पर्यवेक्षी प्रबंधन के स्वचालन को लागू करने के निर्देश जारी किए थे 2018 नवम्बर)) । जी 16 ई द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था।

आगे यह भी देखा गया कि 2018-2020 से 19- की अवधि में रिसाव 21के कारण 14,940. लाख गैलन जल की 33 हानि हुई थी।'ऑलकॉस्ट-इन-' के आधार पर गणना किए गए जल के रिसाव के कारण कुल नुकसान ₹11.53 करोड़ का हुआ।

वार्षिक प्रमुख निर्माण कार्यक्रम ए) एम डब्ल्यू पी(के अन्तर्गत जलापूर्ति से संबंधित विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित प 10रियोजनाओं में से, केवल चार परियोजनाएं पूर्ण की गई थीं, जबकि एक परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई थी और पांच परियोजनाएं, जो शुरु हो गई थीं अभी ,भी पूरी नहीं हुई थीं।

पेयजल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बी) आई एसके लागू मानकों का अनुपालन न करने (, ओवरहेड टैंकों/जलाशयों की निर्धारित आवृति पर सफाई न करना और पानी के विसंदूषण के लिए उपकरणों का काम न कर पाने जैसी महत्वपूर्ण खामियां देखी गईं।

चयनित जी ई में से 18 जी ई में, वर्ष 2018-2020 से 19- की अवधि के दौरान जलापूर्ति रखरखाव शीर्ष में मांग 21 13 की तुलना में धन का आवंटन.47 प्रतिशत से 80. प्रतिशत तक कम था। 67

9. बिजली की घरेलू और गैर घरेलू-खपत के लिए अलग अलग मीटर स्थापित करने में- विफलता के कारण सैन्य अभियंता सेवाएँ संरचनाओं द्वारा (एमईएस)बिजली शुल्क का अनियमित भुगतान

सैन्य अभियंता सेवा एम) ई एसदेश के सभी सैन्य स्टेशनों (/छावनी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिसके लिए इसे राज्य विद्युत बोर्डों या कंपनियों आपूर्ति) एजेंसियों से थोक रुप से बिजली की आपूर्ति (बिजली की थोक आपूर्ति के लिए आपूर्ति एजेंसी को भुगतान करने से पहले ,होती है। लागू शुल्कों के अनुसार, संबंधित दुर्ग अभियंता जी) ईको बिलों की पूर्व जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मं (त्रालय द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद, जी ई महू और जी ई जबलपुर ने विद्युत आपूर्ति एजेंसियों को रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग की गई बिजली की गैर₹ खपत पर (शुल्क-गैर) घरेलू-4.81 करोड़ के बिजली शुल्क ई) डी का भुगतान किया (2022 मार्च))।

10. दुर्ग अभियंताद्वारा घरेलू आपूर्ति (फरीदकोट) पर ₹1.करोड़ की राशि से संबद्ध विद्युत प्रभार की गैर वसूली 28

निर्धारित विनियमों के अनुसार बिजली शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग अभियंता फरीदकोट की विफलता के कारण फरीदकोट सैन्य स्टेशन में रहने वाले घरेलू उपयोगकर्ताओं से 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹1.28 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई।

11. सड़क मार्किंग में आई आर सी विनिर्देश का पालन नहीं करने के कारण ₹3.करोड़ का परिहार्य व्यय 20

मुख्य अभियंता (परियोजना) चेतक, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान संपन्न सड़क पुनर्सतह कार्य से संबंधित 38 अनुबंधों में आई आर सी मानकों को शामिल करने में विफल रहा और 100 मिमी के बजाय चौड़ाई 150 मिमी की एज लाइन मार्किंग प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त क्षेत्र पर थर्मोप्लास्टिक पेंट बिछाने के कारण ₹3.20 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

12. विभिन्न कोड शीर्षों के अंतर्गत समान स्वरुप वाले कार्यों की स्वीकृति देना

रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डी) आर डी एल(, हैदराबाद ने वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, 2019(डी एफ पी .की क्रम सं (2.2 के अंतर्गत निदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयोगशाला की पूरी परिसीमा दीवार के लिए क्लोज़ड सर्किट टेलीविज़न सी) सी टी वी निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए (₹4. 10 कार्यशालाओं के लिए वैज्ञानिक उपकरण तथा सामग्री खरीदने के/करोड़ की मंजूरी दी। यह प्रत्यायोजन प्रयोगशालाओं लिए हीलागू है। डी एफ पी का आशय मात्र उस उपकरण को वैज्ञानिक उपकरण के रुप में विचार में लेना है जो , प्रयोगशाला से संबद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास कार्य के संबंध में आवश्यक हो। इस प्रकार सी सी टी वी निगरानी प्रणाली की स्थापना ,'कार्यके वर्गीकरण परिधि में आ 'नी चाहिए ,में। संयोगवश 'वैज्ञानिक उपकरण की खरीद' न कि , अन्य प्रयोगशालामें सी सी टी वी निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता हेतु निदेशक जो ,सिविल कार्य और सम्पदा , डी आर डी ओ के निर्माण विंग के प्रमुख हैंने डी , एफ पी की क्रम संख्या 4. श्रेणी के लिए लागू 'कार्य' जो 1है के , तहत आवश्यक स्वीकृति दी।

13. ₹2.78 करोड़ का परिहार्य व्यय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला डी) असममित युद्ध प्रौद्योगिकियाँ – वाय एस एल ए टी को कोलकाता में स्थापित करने के अनुचित स्थान चयन के परिणामस्वरुप प्रयोगशाला को एक (वर्ष और चार महीनों में हैदराबाद में स्थानांतरित करना पड़ा। इस अवधि के दौरान कोलकाता में डी वाय एस एल ए टी को स्थापित करने के लिए दो विभिन्न निर्माण स्थानों पर सिविल कार्यों किराए /पर ₹2. 78

करोड़ राशि का व्यय हुआ जोकि परिहार्य था।